न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 14 / 2017 (2017 / 00073)

प्रार्थी

लादूराम पुत्र गुणेशराम, जाति जाट, निवासी– गांव मोगड़ा खुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. विजयसिंह पुत्र जसकरण, जाति चारण, निवासी– मोगड़ा खुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा।
3. तहसीलदार लूणी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 11 जो मिसल संख्या 18 / 13.03.90 में दिनांक 28.08.90 को ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा जारी होना बताया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी (अप्रार्थी संख्या 1)।

–आदेष – दिनांक : 23.03.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोगड़ा के खसरा नंबर 151 रकबा 41.03 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 गोचर के रूप में दर्ज है और मौके पर खाली है। उक्त भूमि के पास खसरा नं0 151 / 1 रकबा 3 बीघा भूमि गैर मुमकिन स्कूल के रूप में इन्द्राज व आवंटित है। हाल ही में अप्रार्थी संख्या 01 ऊपर वर्णित खसरान् की भूमि के एक भाग पर पेड इत्यादि काटने पर आमादा हुआ जिसको प्रार्थी व गांव के मौजिज व्यक्तियों के मना करने पर भी नहीं माना तथा उक्त खसरान की भूमि में पुश्तैनी बाडा का हवाला देकर स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 11 दिनांक 28.08.90 को जारी होना बताया। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित नकल ग्राम पंचायत से लेने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 01 ने मनमाने एवं नाजायज तरीके से ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के साथ सांठ गांठ कर तथाकथित निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, उक्त पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत मोगड़ा कला से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि जिस भू–भाग का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है, उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कोई कब्जा अथवा मकान नहीं बना हुआ है अतः ग्राम पंचायत ने मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिविरूद्ध गैर मुमकिन गोचर की भूमि खसरा नं0 151 ग्राम मोगडा खुर्द की भूमि का पट्टा जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी को उक्त निगरानी पेश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थी का कोई हित प्रभावित हो रहा है तथा निगरानी अत्यधिक विलम्ब से लगभग 30 वर्षों के पश्चात पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया है जिसके लिए अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में 4216 रूपये जमा करवाये है जिसका पट्टे में उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में पंचायत निगरानी निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को गैर मुमकिन गोचर भूमि पर पर पट्टा जारी किया गया, ग्राम पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस बाबत् पत्रावली में खसरा नं0 151 ग्राम मोगडा खुर्द का नक्शा सलंग्न है जिसमें उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

की किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की पुश्त में वर्णित पडौस की पूर्व दिशा में खसरा नं0 150 की कृषि भूमि एवं पश्चिम में मुख्य डामर सड़क दर्शाई गई है जिससे स्पष्ट है कि निगराधीन पट्टा खसरा नं0 151 की भूमि पर जारी किया गया है जिसकी किस्म सलंग्न जमाबन्दी अनुसार गैर मुमकिन गोचर दर्ज है इस बाबत् अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि या अन्य खसरान की भूमि पर जारी किया गया हो। ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब करने पर केवल पट्टा बही व बैठक कार्यवाही रजिस्टर पेश किया। अप्रार्थी को पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विजयसिंह पुत्र जसकरण चारण, निवासी मोगडा खुर्द को ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 11 मिसल संख्या 18/13.3.90 दिनांक 28.08.90 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत मोगडा कला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested